अनुदान संख्या 96 - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 96 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged-*		*1,00*	*98*	*-2*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	2111,43,00	2161,83,00	2145,06,65	-16,76,35
पूरक	Supplementary	50,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	604,32,00	604,33,00	467,36,42	-136,96,58
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				130,06,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1676.35 लाख) अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹5040.00 लाख के पूरक अनुदानों का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1प्रतिशत थीं ।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1676.35 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grants of ₹5040.00 lakhs obtained in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क - गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	549.00	724.52	721.14	-3.38
पु.	R.	175.52			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	11641.00			
पू.	S.	500.00	12981.54	12959.09	-22.45
पु.	R.	840.54			
मुख्य शीर्ष "2056"	Major Head "2056"				
जेल	Jails				
मू.	O.	507.00	706.97	692.62	-14.35
पु.	R.	199.97			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	2964.00	3251.66	3217.67	-33.99
पु.	R.	287.66			
मुख्य शीर्ष "2245"	Major Head "2245"				
प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	13187.00	139.17	135.64	-3.53
पु.	R.	-13047.83			
ख - कृषि मंत्रालय	**B - Ministry of Agriculture**				
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषिकर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	3255.00			
पू.	S.	230.00	3204.30	3041.27	-163.03
पु.	R.	-280.70			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2435"	Major Head "2435"				
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	232.00			
पू.	S.	30.00	262.58	252.08	-10.50
पु.	R.	0.58			
ग - ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C - Ministry of Rural Development**				
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	2594.00			
पू.	S.	1.00	3024.69	3015.37	-9.32
पु.	R.	429.69			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	5487.00			
पू.	S.	1.00	5623.77	5609.59	-14.18
पु.	R.	135.77			
घ - विद्युत मंत्रालय	**D - Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
बिजली	Power				
मू.	O.	23817.00			
पू.	S.	300.00	24820.57	24780.30	-40.27
पु.	R.	703.57			
च - पर्यावरण और वन मंत्रालय	**F - Ministry of Environment and Forests**				
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"				
वानिकी तथा वन्य प्राणी	Forestry and Wild Life				
मू.	O.	11156.00			
			11408.58	11430.03	+21.45
पु.	R.	252.58			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
छ - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**G – Ministry of Food Processing Industries**					
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"					
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing					
मू.	O.	3063.00		3773.00	3771.57	-1.43
पु.	R.	710.00				
ज - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	**H – Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution**					
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"					
नागरिक पूर्ति	Civil Supplies					
मू.	O.	840.00		1032.00	1012.09	-19.91
पु.	R.	192.00				
झ - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**I - Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	11874.00				
पू.	S.	212.00		14143.11	14022.62	-120.49
पु.	R.	2057.11				
ञ - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	**J - Department of School Education and Literacy**					
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	17471.00		18032.07	17781.79	-250.28
पु.	R.	561.07				

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
ट - उच्चतर शिक्षा विभाग	**K - Department of Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	12995.00			
पू.	S.	52.00	13380.99	13050.24	-330.75
पु.	R.	333.99			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	986.00	1141.00	1131.23	-9.77
पु.	R.	155.00			
ठ - महिला और बाल विकास मंत्रालय	**L – Ministry of Women and Child Development**				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	691.00			
पू.	S.	155.00	964.78	955.34	-9.44
पु.	R.	118.78			
ड - युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय	**M – Ministry of Youth Affairs and Sports**				
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेलकूद और युवा मामले	Sports and Youth Services				
मू.	O.	400.00	545.70	513.80	-31.90
पु.	R.	145.70			
द - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R – Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	7700.00			
पू.	S.	1.00	10420.06	10395.88	-24.18
पु.	R.	2719.06			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	3169.00	3768.20	3742.65	-25.55
पु.	R.	599.20			
ध - पोत परिवहन मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	7184.00			
पू.	S.	3556.00	11170.21	11181.92	+11.71
पु.	R.	430.21			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
जहाजरानी	Shipping				
मू.	O.	27954.00	30658.00	30651.76	-6.24
पु.	R.	2704.00			
प - नागर विमानन मंत्रालय	**U - Ministry of Civil Aviation**				
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	4367.00	4518.00	4516.22	-1.78
पु.	R.	151.00			
भ - शहरी विकास मंत्रालय	**X - Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	14573.00	13111.08	12929.17	-181.91
पु.	R.	-1461.92			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	1170.00	1393.00	1386.98	-6.02
पु.	R.	223.00			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	2039.00	2251.14	2243.53	-7.61
पु.	R.	212.14			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	1694.00	1586.92	1574.49	-12.43
पु.	R.	-107.08			
य - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**Z – Ministry of Social Justice and Empowerment**				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	797.00	1058.76	1041.18	-17.58
पु.	R.	261.76			

(I) ₹13427.82 लाख का प्रावधान सत्ताईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया प्रयुक्त रहा; इनमें से ₹13139.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹13427.82 lakhs remained wholly unutilised under twenty seven heads; of these ₹13139.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2245" - "बाढ़, चक्रवात आदि - नि:शुल्क राहत - सुनामी प्रभावित किसानों को राहत पैकेज" - ₹13035.00 लाख नीतिगत मामले पर प्रशासन का निर्णय लंबित रहने के कारण थे।

(A) Major Head "2245" – "Flood, Cyclones etc. – Gratuitous Relief – Relief package to tsunami affected farmers" – ₹13035.00 lakhs – due to pending decision of the Administration on the policy matter.

(खा) मुख्य शीर्ष "2401" - "जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - कृषि उपयोगी सामग्री का वितरण" - ₹104.00 लाख जिला परिषद से निधि की मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "2401" – "Zilla Parishad/District Level Panchayat – Distribution of Agricultural Inputs" – ₹104.00 lakhs – due to non-requisition of fund from Zilla Parishad.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" - "माध्यमिक शिक्षा" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2202" –"Secondary Education" -remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(का) "गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान" - ₹452.75 लाख के मूल प्रावधान को ₹26.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹478.75 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹53.31 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम संबंधी बकायाओं का समय पर निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Assistance to Non-Government Secondary Schools – Grant-in-aid to Private Schools" – the original provision of ₹452.75 lakhs was augmented to ₹478.75 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹26.00 lakhs. However, there was a saving of ₹53.31 lakhs (including supplementary grant) – due to non-settlement of assured career progression scheme arrears in time.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अन्य स्कीमें" - ₹786.35 लाख के मूल प्रावधान को ₹26.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹812.35 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹130.57 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) दावे प्राप्त न होने और प्रशासनिक कारणों से खरीद पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan – Other Schemes" – the original provision of ₹786.35 lakhs was augmented to ₹812.35 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹26.00 lakhs. However, there was a saving of ₹130.57 lakhs (including supplementary grant) – due to non-receipt of claim and restriction in purchase owing to administrative reasons.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401" -

(क) "खाद तथा उर्वरक - उर्वरकों का वितरण" - ₹66.90 लाख के मूल प्रावधान को ₹14.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹80.90 लाख कर दिया गया जो, तथापि, संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया की अदायगी न किए जाने के कारण ₹8.42 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण स्कीम" - ₹172.80 लाख के मूल प्रावधान को ₹42.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹214.80 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹5.32 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(A) Major Head "2401" -

(a) "Manures and Fertilisers – Distribution of Fertilisers" - the original provision of ₹66.90 lakhs was augmented to ₹80.90 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹14.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹8.42 lakhs – due to non-payment of modified assured career progression scheme arrears.

(b) "Plant Protection –Plant Protection Scheme" - the original provision of ₹172.80 lakhs was augmented to ₹214.80 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹42.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹5.32 lakhs; and

(ख) मुख्य शीर्ष "2435" - "विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - उच्च लाभदायक कार्यक्रम" - ₹188.22 लाख के मूल प्रावधान को ₹30.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹218.22 लाख कर दिया गया जो, तथापि ₹9.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मुख्य भूमि से कृषि उपयोगी सामग्री प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ग) मुख्य शीर्ष "2801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - फीनीक्स खाड़ी में बिजली घर - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य" - ₹1082.39 लाख के मूल प्रावधान को ₹65.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1147.39 लाख कर दिया गया जो, तथापि, चिकित्सा दावों का निपटान न किए जाने और भंडारों की अधिप्राप्ति/पूर्ति में विलंब होने के कारण ₹7.01 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घ) मुख्य शीर्ष "3051" - "लघु पत्तन - निर्माण और मरम्मत - घाटों का रख-रखाव" - ₹0.10 लाख के मूल प्रावधान को ₹900.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹900.10 लाख कर दिया गया जो, तथापि, भारी वर्षा होने और निर्माण सामग्री की कमी की वजह से निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण ₹300.10 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2401" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के अंतर्गत ₹323.85 लाख की बचत (₹844.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - चिकित्सा कालेज" के अंतर्गत ₹230.00 लाख की बचत (₹236.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्यौरेवार निर्माण कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - मध्याह्न भोजन" - ₹507.53 लाख की बचत (₹842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तिकर्ता से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) Major Head "2435" – "Marketing and Quality control – Other Expenditure – High Yielding Programme" – the original provision of ₹188.22 lakhs was augmented to ₹218.22 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹30.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹9.38 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-receipt of Agriculture inputs from mainland.

(C) Major Head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation – Power House at Phoenix Bay – Power Plant and Ancillary Works" – the original provision of ₹1082.39 lakhs was augmented to ₹1147.39 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹65.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7.01 lakhs – due to non-settlement of medical claims and delay in procurement/supply of stores.

(D) Major Head "3051" – "Minor Ports - Construction and Repairs - Maintenance of Jetties"- the original provision of ₹0.10 lakh was augmented to ₹900.10 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹900.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹300.10 lakhs – due to slow progress of works owing to heavy rain and shortage of construction materials.

(IV) Under Major Head "2401" – "Other Expenditure – Rashtriya Krishi Vikas Yojna" – saving of ₹323.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹844.00 lakhs) was due to non-achievement of target.

(V) Under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy –Medical College" – saving of ₹230.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹236.00 lakhs) was due to non-finalisation of detailed works.

(VI) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads :-

(A) "Elementary Education – Other Expenditure – Mid-Day Meals" – saving of ₹507.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹842.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from the supplier.

(खा) "माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - संघ राज्य क्षेत्र का भाग" - ₹469.63 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय अनुदान प्राप्त न होने की वजह से राज्य अनुदान पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।

(B) "Secondary Education – Government Secondary Schools – Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan-UT Share" – saving of ₹469.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to restriction of State grant owing to non-receipt of Central grant.

(VII) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें - ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत को सहायता" के अंतर्गत ₹140.08 लाख की बचत (₹3446.08 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों के बीच अवसंरचना का वितरण होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads – Gram Panchayat – Aids to Gram Panchayat" – saving of ₹140.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3446.08 lakhs) was due to the infra distribution between three tiers of Panchyati Raj Institutions.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय पोत परिवहन - पोत परिवहन सेवाएं - एस.सी.आई.को अदायगी" के अंतर्गत ₹860.00 लाख की बचत (₹15800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय पोत परिवहन निगम से बिल/दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping – Shipping Services – Payment to S.C.I."– saving of ₹860.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15800.00 lakhs) was due to non-receipt of bills/claims from Shipping Corporation of India.

(IX) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य उचंत - स्टाक" के अंतर्गत ₹1824.24 लाख की बचत (₹7420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खदान उत्पादों की कमी और लगातार बारिश होने की वजह से निर्माण कार्यों में बाधा आने के कारण हुई।

(IX) Under Major Head "2059" - "General – Suspense – Stock" – saving of ₹1824.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7420.00 lakhs) was due to hampering of works owing to shortage of quarry products and continuous rain.

(X) मुख्य शीर्ष "2217" - "सामान्य - नगर पालिकाएं/नगरपालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद" के अंतर्गत ₹125.93 लाख की बचत (₹1629.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(X) Under Major Head "2217" - "General – Municipalities/Municipal Council – Port Blair Municipal Council" – saving of ₹125.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1629.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years.

(XI) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - वृद्ध, अशक्त और निस्सहायों का कल्याण - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹167.36 लाख की बचत (₹193.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वृद्धावस्था पेंशन के लिए कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(XI) Under Major Head "2235" - "Social Welfare – Welfare of Aged, Infirm and Destitute –National Social Assistance Programme" – saving of ₹167.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹193.00 lakhs) was due to receipt of less applications for old age Pension.

(XII) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹269.44 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थी।

(XII) Under five heads savings of ₹269.44 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 12 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6113.29 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹6113.29 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "प्रारंभिक शिक्षा - सरकारी प्राथमिक विद्यालय - प्राथमिक शिक्षा" - ₹1109.26 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹896.51 लाख था।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय" - ₹922.36 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹769.66 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" - "सरकारी परिवहन सेवाएं - प्रचालन" - ₹581.67 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹559.68 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय पोत परिवहन - पोत परिवहन सेवाएं" -

(क) "मुख्य भूमि के प्रचालन प्रभार - द्वीप पोत" - ₹1000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹999.63 लाख था।

(ख) "अंतर द्विपीय पोतों के प्रचालन प्रभार" - ₹2500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2498.93 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह" - ₹172.14 लाख का अधिक व्यय (₹549.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत/जल, टेलीफोन एवं अन्य आकस्मिक बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और लेखन सामग्री की अधिक खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" -

(क) "विशेष पुलिस - सशस्त्र पुलिस" - ₹105.13 लाख का अधिक व्यय (₹806.45 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार पुलिस रेडियो संगठन के लंबित यात्रा भत्ते और टेलीफोन बिलों और स्पेक्ट्रम प्रभारों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education – Government Primary Schools – Primary Education" – ₹1109.26 lakhs. Actual excess, however, was ₹896.51 lakhs.

(b) "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools" – ₹922.36 lakhs. Actual excess, however, was ₹769.66 lakhs.

(B) Major Head "3055" – "Government Transport Services – Operation" – ₹581.67 lakhs. Actual excess, however, was ₹559.68 lakhs.

(C) Major Head "3052" – "Coastal Shipping – Shipping Services" –

(a) "Operational Charges of Mainland - Islands Vessels" – ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.63 lakhs.

(b) "Operational Charges of Inter-Islands Vessels" – ₹2500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2498.93 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451"- "Secretariat – Andaman and Nicobar Islands" – excess of ₹172.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹549.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards electric/ water telephone and other contingent bills and purchase of more stationery.

(B) Major Head "2055"-

(a) "Special Police – Armed Police" – excess of ₹105.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹806.45 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending Travelling Allowance and telephone bills and Spectrum charges of Andaman and Nicobar Police Radio Organisation.

(ख) "जिला पुलिस - जिला पुलिस का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" - ₹490.98 लाख का अधिक व्यय (₹920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए मंहगाई भत्तों, अन्य भत्तों और आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम/संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया का निपटान किए जाने तथा प्रशिक्षण पर फिल्लौर, पंजाब जाने वाले पुलिस कार्मिकों को यात्रा भत्ता अग्रिम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "District Police – Strengthening and Modernisation of District Police" – excess of ₹490.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹920.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards enhanced dearness allowance, other allowances and to clear the assured career progression scheme/modified assured career progression scheme arrears and Travelling Allowance advance to Police personnel proceeding on training to Phillaur, Punjab.

(गा) मुख्य शीर्ष "2056" - "निदेशन और प्रशासन - जेल स्थापना" - ₹185.62 लाख का अधिक व्यय (₹507.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक कैदियों की मजदूरी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "2056" – "Direction and Administration – Jail Establishment" – excess of ₹185.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹507.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards wages of increased number of prisoners.

(घा) मुख्य शीर्ष "2070" - "अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - बचाव और नियंत्रण" - ₹213.40 लाख का अधिक व्यय (₹1684.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए महंगाई भत्ते, आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम/संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया और लंबित दौरा यात्रा भत्ता बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) Major Head "2070" – "Fire Protection and Control – Protection and Control" – excess of ₹213.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1684.20 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased dearness allowance, assured career progression scheme/modified assured career progression scheme arrears and to clear the pending tour Travelling Allowance bills.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - ग्रामीण पाइप जल पूर्ति" - ₹329.37 लाख का अधिक व्यय (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत और रख-रखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(E) Major Head "2215" – "Water Supply – Rural Water Supply Programme – Rural Piped Water Supply" – excess of ₹329.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards repairs and maintenance.

(चा) मुख्य शीर्ष "2515" - "ब्लाक पंचायत/मध्यम स्तरीय पंचायत - पंचायत समिति" - ₹274.15 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹909.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचायती राज संस्था की इंजीनियरी शाखा का पुनर्गठन किए जाने के कारण हुआ।

(F) Major Head "2515" – "Block Panchayats/ Intermediate Level Panchayat – Panchayat Samiti" – excess of ₹274.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹909.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to re-arrangement of the Engineering wing of Panchayati Raj Institution.

(छा) मुख्य शीर्ष "2801" -

(G) Major Head "2801" –

(क) "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य बिजली घर - बिजली घर और अनुषंगी निर्माण कार्य" - ₹154.78 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹6641.79

(a) "Diesel/Gas Power Generation – Other Power Houses – Power Plant and Ancillary Works" – excess of ₹154.78 lakhs (against the total

लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''पारेषण और वितरण - पोर्ट ब्लेयर में पारेषण और वितरण - विद्युत वितरण'' - ₹288.63 लाख का अधिक व्यय (₹125.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2250.45 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के दीर्घकालीन लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) ''ग्रामीण विद्युतीकरण - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अन्य स्कीमें'' - ₹235.81 लाख का अधिक व्यय (₹653.73 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया और कर्मचारियों के लंबित चिकित्सा दावों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के यात्रा भत्ते के बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(जा) मुख्य शीर्ष ''2406'' - ''वानिकी - वन संरक्षण, विकास और पुनरुदभवन - वन विकास'' - ₹206.97 लाख का अधिक व्यय (₹4210.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम/संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(झा) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति'' -

(क) ''चावल की खरीद'' - ₹191.70 लाख का अधिक व्यय (₹1784.24 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 2778 मीटरी टन चावल के विशेष अतिरिक्त नियतन की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''चीनी की खरीद'' - ₹497.76 लाख का अधिक व्यय (₹643.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए चीनी के महासागरीय

sanctioned provision of ₹6641.79 lakhs including supplementary grant of ₹100.00 lakhs); and

(b) "Transmission and Distribution – Transmission and Distribution at Port Blair – Power Distribution" – excess of ₹288.63 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2250.45 lakhs including supplementary grant of ₹125.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards modified assured career progression scheme arrears and settlement of long pending claims of Director General of Supplies and Disposal.

(c) "Rural Electrification – Tribal Area Sub-Plan – Other Schemes" – excess of ₹235.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹653.73 lakhs) was due to requirement of additional funds towards modified assured career progression scheme arrears and settlement of pending medical claims of employees and Travelling Allowance bills pertaining to retired employees.

(H) Major Head "2406" – "Forestry – Forest Conservation, Development and Regeneration – Forest Development" – excess of ₹206.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4210.09 lakhs) was due to requirement of additional funds towards assured career progression scheme/modified assured career progression scheme arrears.

(I) Major Head "2408" – "Food – Procurement and Supply" -

(a) "Purchase of Rice" – excess of ₹191.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1784.24 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of special additional allocation of 2778 MT rice.

(b) "Purchase of Sugar" – excess of ₹497.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹643.50 lakhs) was due to requirement of

भाड़ा प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, चीनी (त्योहार कोटा) के अतिरिक्त नियतन की खरीद किए जाने और बढ़े हुए मूल्य वर्धित कर के कारण हुआ।

additional funds towards ocean freight charges for sugar for the year 2009-10 and 2010-11, purchase of additional allocation of sugar (festival quota) and increased Value Added Tax.

(ञ) मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन - नागरिक पूर्ति विभाग" - ₹144.87 लाख का अधिक व्यय (₹741.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए महंगाई भत्ते, रिक्त पद भरे जाने एवं दिहाड़ी मजदूरों की तैनाती किए जाने, स्थानांतरण के लंबित यात्रा भत्ता बिलों एवं टारपोलिन एवं प्लास्टिक पैलेट बिलों के निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(J) Major Head "3456" - "Direction and Administration - Civil Supplies Department"- excess of ₹144.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹741.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in dearness allowance, filling up of vacant post and posting of Daily Rated Mazdoors, settlement of pending transfer Travelling Allowance bills and tarpolin & plastic pallets bills and purchase of computer hardware for computerization of Public Distribution System operations.

(ट) मुख्य शीर्ष "2210" -

(K) Major Head "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" - ₹200.24 लाख का अधिक व्यय (₹1181.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत/जल, टेलीफोन और अन्य आकस्मिक बिलों और अधिक लेखन सामग्री की खरीद किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(i) "Direction and Administration - Directorate of Health Services" - excess of ₹200.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1181.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards electric/water, telephone and other contingent bills and purchase of more stationery.

(ii) "अस्पताल और औषधालय - जी.बी. पंत अस्पताल" - ₹472.05 लाख का अधिक व्यय (₹185.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4147.38 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, औषधि, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और लंबित चिकित्सा पूर्ति डिपो दावों के निपटान, विद्युत, जल, टेलीफोन और अन्य आकस्मिक बिलों तथा संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकायाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "Hospital and Dispensaries – G.B. Pant Hospital" – excess of ₹472.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4147.38 lakhs including supplementary grant of ₹185.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stores spares, medicine, medical equipments and clearance of pending Medical Supply Depot claims, electric, water, telephone and other contingent bills and modified assured career progression scheme arrears.

(ख) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां" -

(b) "Urban Health Services-Other Systems of Medicine" –

(i) "आयुर्वेद - औषधालय" - ₹109.99 लाख का अधिक व्यय (₹289.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(i) "Ayurveda – Dispensary" – excess of ₹109.99 lakhs (against the sanctioned

में) भंडारों के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों, औषधि, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और लंबित चिकित्सा पूर्ति डिपो दावों के निपटान, विद्युत, जल, टेलीफोन और अन्य आकस्मिक बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "होम्योपैथी - औषधालय" - ₹151.06 लाख का अधिक व्यय (₹212.22 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों के अतिरिक्त हिस्से पुर्जों, औषधि, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और लंबित चिकित्सा पूर्ति डिपो दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - ऐलोपैथी" -

(i) "प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम" - ₹349.92 लाख का अधिक व्यय (₹27.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2929.70 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों के अतिरिक्त हिस्से पुर्जों, औषधि, चिकित्सा उपस्करों की खरीद और लंबित चिकित्सा पूर्ति डिपो दावों विद्युत, जल, टेलीफोन और अन्य आकस्मिक बिलों तथा संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम बकायों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "अस्पताल और औषधालय - अन्य अस्पताल" - ₹441.33 लाख का अधिक व्यय (₹1206.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की खरीद और लंबित चिकित्सा पूर्ति डिपो दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) "सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अन्य स्कीमें" - ₹467.62 लाख का अधिक व्यय (₹815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त हिस्से पुर्जों, औषधि, चिकित्सा उपस्करों की खरीद, लंबित चिकित्सा पूर्ति डिपो दावों के निपटान और संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

provision of ₹289.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stores spares, medicine, medical equipments and clearance of pending Medical Supply Depot claims, electric, water, telephone and other contingent bills.

(ii) "Homeopathy – Dispensary" – excess of ₹151.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹212.22 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stores spares, medicine, medical equipments and clearance of pending Medical Supply Depot claims.

(c) "Rural Health Services-Allopathy" –

(i) "Primary Health Centres – Primary Health Scheme" – excess of ₹349.92 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2929.70 lakhs including supplementary grant of ₹27.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stores spares, medicine, medical equipments and clearance of pending Medical Supply Depot claims, electric, water, telephone and other contingent bills and modified assured career progression scheme arrears.

(ii) "Hospital and Dispensaries – Other Hospitals" – excess of ₹441.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1206.70 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stores spares and clearance of pending Medical Supply Depots claims.

(d) "General – Tribal Area Sub-Plan – Other Schemes" – excess of ₹467.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹815.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stores spares, medicine, medical equipments and clearance of pending Medical Supply Depot claims and payment of modified assured career progression scheme arrears.

(ठा) मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर" - ₹102.93 लाख का अधिक व्यय (₹1193.08 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) काम चलाउ मदों की लागत एवं छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि, मंहगाई भत्ते में वृद्धि और संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(डा) मुख्य शीर्ष "2203" - "पालिटेक्निक - पोर्ट ब्लेयर में पालिटेक्निक" - ₹145.23 लाख का अधिक व्यय (₹986.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मानदंडों के अनुसार बकाया का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ढा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - महिलाओं का कल्याण - विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं को भत्ते" - ₹153.81 लाख का अधिक व्यय (₹75.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹450.17 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़ी हुई विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(णा) मुख्य शीर्ष "2204" - "खेलकूद और खेल - खेलकूद और खेल कार्यक्रम" - ₹113.31 लाख का अधिक व्यय (₹248.33 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते में वृद्धि, विद्युत, जल, लेखन सामग्री, आकस्मिक बिल और संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ता) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला तथा अन्य सड़कें" -

(क) "नगरपालिका/नगरपालिका परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद" - ₹995.50 लाख का अधिक व्यय (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹170.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "जिला परिषद/जिलास्तरीय पंचायतें - जिला परिषद" - ₹1826.47 लाख का अधिक व्यय (₹0.50 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹817.46 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों से संबंधित लंबित बिलों/पिछले

(L) Major Head "2202" - "University Higher Education – Government College and Institutes – Jawaharlal Nehru Rajkeya Mahavidyalaya, Port Blair" – excess of ₹102.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1193.08 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased cost of provisional items and rate of scholarships, increase in dearness allowance and modified assured career progression scheme arrears.

(M) Major Head "2203" – "Polytecnics – Polytechnics at Port Blair" – excess of ₹145.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹986.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of arrears as per All India Council for Technical Education norms.

(N) Major Head "2235" – "Social Welfare – Women's Welfare – Allowances to Widows/Deserted Women" – excess of ₹153.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹450.17 lakhs including supplementary grant of ₹75.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased widow pension/old age pension.

(O) Major Head "2204" – "Sports and Games – Sports and Games Programme" – excess of ₹113.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹248.33 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in dearness allowance, electric, water, stationery, contingent bills and modified assured career progression scheme arrears.

(P) Major Head "3054" – "District and Other Roads" –

(a) "Municipalities/Municipal Councils – Port Blair Municipal Council" – excess of ₹995.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹170.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to requirement of additional funds towards execution of various development works.

(b) "Zilla Parishad/District Level Panchyats – Zila Parishad" – excess of ₹1826.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹817.46 lakhs including supplementary grant of ₹0.50 lakh)

बकाया काम के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills/backlogs pertaining to works.

(ग) "सड़क निर्माण कार्य - ग्रामीण सड़कें" - ₹138.89 लाख का अधिक व्यय (₹1130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(c) "Road Works – Rural Roads" – excess of ₹138.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1130.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance and repairs of roads and bridges.

(था) मुख्य शीर्ष "3051" - "लघु पत्तन" -

(Q) Major Head "3051" – "Minor Ports" –

(क) "पत्तन प्रबंधन - पत्तन स्थापना" - ₹177.39 लाख का अधिक व्यय (₹1506.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2663.65 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए मंहगाई भत्ते, विद्युत, जल, टेलीफोन एवं अन्य आकस्मिक बिलों, संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया और अधिक लेखन सामग्री की खरीद किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(a) "Port Management – Port Establishment" – excess of ₹177.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2663.65 lakhs including supplementary grant of ₹1506.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased dearness allowance, electric, water, telephone and other contingent bills, modified assured career progression scheme arrears and purchase of more stationery.

(ख) "गोदीबाड़ा और शुष्क गोदी - सरकारी गोदीबाड़ा" - ₹468.62 का अधिक व्यय (₹4533.43 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए मंहगाई भत्ते, संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया, घाटों, जहाज घाटों एवं पोतो के रख-रखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Dockyards and Dry-docking – Government Dockyard" – excess of ₹468.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4533.43 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased dearness allowance, modified assured career progression scheme arrears, maintenance and repairs of Jetties, Wharf and vessels.

(दा) मुख्य शीर्ष "3053" - "हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - विमानों का प्रचालन और अनुरक्षण" - ₹152.61 लाख का अधिक व्यय (₹2265.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हेलिकाप्टर सेवाओं में कर्मचारियों की तैनाती एवं अनुरक्षण लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(R) Major Head "3053" – "Air Services – Other Expenditure – Operation and Maintenance of Air Craft" – excess of ₹152.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2265.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards manning and maintenance cost of helicopter services.

(धा) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - निष्पादन" - ₹201.05 लाख का अधिक व्यय (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए मंहगाई भत्ते, संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया, चिकित्सा दावों और दौरे एवं स्थानांतरण भत्ते के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(S) Major Head "2059" – "General – Direction and Administration – Execution" – excess of ₹201.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased dearness allowance, modified assured career progression scheme arrears, medical claims and tour and transfer allowance.

(ना) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र के लिए जल पूर्ति कार्यक्रम" - ₹216.98 लाख का अधिक व्यय (₹770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(T) Major Head "2215" – "Water Supply – Urban Water Supply Programme – Water Supply Programme to Port Blair Municipal Area" – excess of ₹216.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹770.00 lakhs); and

(पा) मुख्य शीर्ष "2216" - "सामान्य पूल आवास - रखरखाव और मरम्मत - अन्य रख-रखाव व्यय" - ₹161.53 लाख का अधिक व्यय (₹1767.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(U) Major Head "2216" – "General Pool Accommodation – Maintenance and Repairs – Other Maintenance Expenditure" – excess of ₹161.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1767.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय रख-रखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards maintenance and repairs.

(फा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - वृद्ध, अशक्त और निस्सहायों का कल्याण - कल्याण स्कीमें" - ₹379.15 लाख का अधिक व्यय (₹361.19 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकाया और वृद्धावस्था पेंशन की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(V) Major Head "2235" – "Social Welfare – Welfare of Aged, Infirm and Destitute – Welfare Schemes" – excess of ₹379.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹361.19 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of modified assured career progression scheme arrears and old age pension.

(III) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹536.50 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 से 102 प्रतिशत तक था।

(III) Under eight heads excess of ₹536.50 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 17 percent to 102 percent of the total sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
क - गृह मंत्रालय	**A - Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य समाज सेवाओं पर	Capital Outlay on Social				
पूंजीगत परिव्यय	Services				
मू.	O.	156.00	46.13	45.18	- 0.95
पु.	R.	-109.87			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ख - कृषि मंत्रालय	**B - Ministry of Agriculture**				
मुख्य शीर्ष "4402"	Major Head "4402"				
मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Soil and Water Conservation				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			
ग - ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C - Ministry of Rural Development**				
मुख्य शीर्ष "4215"	Major Head "4215"				
जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	2302.00	2371.53	2370.28	-1.25
पु.	R.	69.53			
घ - विद्युत मंत्रालय	**D - Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	3390.00	3590.00	3329.74	- 260.26
पु.	R.	200.00			
च- पर्यावरण और वन मंत्रालय	**F - Ministry of Environment and Forests**				
मुख्य शीर्ष "4406"	Major Head "4406"				
वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	2660.00	2973.39	2981.15	+7.76
पु.	R.	313.39			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
द - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	10470.00				
				9027.37	8722.00	- 305.37
पु.	R.	-1442.63				
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport					
मू.	O.	300.00				
				547.34	546.12	-1.22
पु.	R.	247.34				
ध - पोत परिवहन मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**					
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों तथा प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses					
मू.	O.	500.00				
				1080.79	1089.16	+8.37
पु.	R.	580.79				
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping					
मू.	O.	18735.00				
				6125.00	6123.29	-1.71
पु.	R.	-12610.00				

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
प - नागर विमानन मंत्रालय	**U - Ministry of Civil Aviation**				
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	366.00	115.86	98.18	-17.68
पु.	R.	-250.14			
फ -पर्यटन मंत्रालय	**V - Ministry of Tourism**				
मुख्य शीर्ष "5452	Major Head "5452"				
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	3135.00	1900.10	1847.35	-52.75
पु.	R.	-1234.90			
भ - शहरी विकास विभाग	**X - Department of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	1704.00	2385.97	2383.34	-2.63
पु.	R.	681.97			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1453.00	2028.98	2015.82	-13.16
पु.	R.	575.98			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	509.00	296.33	294.70	-1.63
पु.	R.	- 212.67			
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	2525.00	2016.29	2012.65	-3.64
पु.	R.	-508.71			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	1760.00	1202.11	1199.37	-2.74
पु.	R.	-557.89			
मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	2200.00	2347.75	2347.66	-0.09
पु.	R.	147.75			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1357.00	1587.36	1590.50	+3.14
पु.	R.	230.36			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	210.00			
			97.50	97.44	-0.06
पु.	R.	-112.50			
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	262.00			
			435.72	435.75	+0.03
पु.	R.	173.72			
मुख्य शीर्ष "4403" पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4403" Capital Outlay on Animal Husbandry				
मू.	O.	663.00			
			543.62	528.09	-15.53
पु.	R.	-119.38			
मुख्य शीर्ष "4405" मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	183.00			
			86.00	76.39	-9.61
पु.	R.	-97.00			
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	257.00			
			752.00	751.93	-0.07
पु.	R.	495.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
म - जल संसाधन मंत्रालय	**Y - Ministry of Water Resources**				
मुख्य शीर्ष "4711"	Major Head "4711"				
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	1523.00	817.86	815.60	-2.26
पु.	R.	- 705.14			
कक - संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**AA - Ministry of Communication and Information Technology**				
मुख्य शीर्ष "5225"	Major Head "5225"				
दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication Services				
पू.	S.	1.00	2400.00	2400.00	..
पु.	R.	2399.00			

(I) ₹1214.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4402" - "अन्य व्यय - अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत वर्षा और जमीन विवादों की वजह से नए निर्माण कार्य शुरू करने में अंडमान लोक निर्माण विभाग के अक्षम रहने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1214.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4402" – "Other Expenditure – Additional Central Assistance for Other Projects" – due to inability of Andaman Public Work Department to undertake new works owing to rain and land disputes.

(II) मुख्य शीर्ष "4250" - "प्राकृतिक आपदाएं - विपदा प्रबंधन संबंधी तैयारी की वृद्धि" के अंतर्गत ₹110.82 लाख की बचत (₹156.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, उपग्रह फोनों की पूर्ति न किए जाने और गोदाम-सह-कार्यालय भवन का निर्माण लंबित होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4250" - "Natural Calamities – Enhancing Preparedness in Managing Disasters" – saving of ₹110.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹156.00 lakhs) was due to non-approval of proposal for purchase of vehicles, non supply of satellite phones and pending construction of godown-cum-office building.

(III) मुख्य शीर्ष "4801" - "सामान्य - अन्य व्यय - अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत ₹221.33 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राज्य राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - अंडमान मुख्य मार्ग" - ₹281.29 लाख की बचत (₹990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "सामान्य" -

(क) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - सड़कों का निर्माण" - ₹158.30 लाख की बचत (₹640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें खनन उत्पादों के उपलब्ध न होने और सतत वर्षा की वजह से कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुईं।

(ख) "अन्य व्यय - अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - ₹1662.57 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खनन उत्पादों के उपलब्ध न होने एवं मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, कार्य के समय अक्सर वर्षा होने की वजह से कार्य शुरू न किए जाने और उसके परिणामस्वरूप सतही निर्माण कार्यों की प्रगति में विलंब होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "टनभार का अधिग्रहण और विस्तार - पोतों की खरीद" - ₹5710.86 लाख की बचत (₹7935.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - पोतों की खरीद" - ₹6900.85 लाख की बचत (₹10800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नए पोतों के अधिग्रहण के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(III) Under Major Head "4801" – "General – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Other Projects" – saving of ₹221.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-receipt of bills in time.

(IV) Under Major Head "5054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "State Highways – Road Works – Andaman Trunk Road" – saving of ₹281.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹990.00 lakhs); and

(B) "General" –

(a) "Tribal Area Sub-Plan – Construction of Roads" – saving of ₹158.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹640.00 lakhs).

Savings under above two heads were due to non-taking up of work owing to non-availability of quarry products and continuous rain.

(b) "Other Expenditure – Additional Central Assistance for Other Projects" – saving of ₹1662.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-taking up of work owing to non-availability of quarry products and inclement weather conditions, frequent rains during working season delaying progress of surface works.

(V) Under Major Head "5052" – "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Acquisition and Expansion of Tonnage – Purchase of Ships" – saving of ₹5710.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7935.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area Sub-Plan – Purchase of Ships" – saving of ₹6900.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of tender for acquisition of new vessels.

(VI) मुख्य शीर्ष "5053" - "विमानपत्तन - अन्य व्यय - विमानों का प्रचालन और अनुरक्षण" के अंतर्गत ₹211.35 लाख की बचत (₹266.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और खनन उत्पादों के उपलब्ध न होने एवं मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से विभिन्न निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "5053" – "Air Ports – Other Expenditure – Operation and Maintenance of Aircrafts" – saving of ₹211.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹266.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for purchase of machinery equipments and non-taking up of various works owing to non-availability of quarry products and inclement weather conditions.

(VII) मुख्य शीर्ष "5452" - "पर्यटक अवसंरचना - अन्य व्यय - अन्य परियोजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत ₹1252.67 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य परियोजनाओं से संबंधित कम निर्माण कार्य शुरू किए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "5452" – "Tourist Infrastructure – Other Expenditure – Additional Central Assistance for Other Project" – saving of ₹1252.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was due to undertaking of less works pertaining to other projects.

(VIII) मुख्य शीर्ष "4055" - "पुलिस आवास - भवन" के अंतर्गत ₹344.06 लाख की बचत (₹730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VIII) Under Major Head "4055" – "Police Housing – Buildings" – saving of ₹344.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹730.00 lakhs);

(IX) मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत ₹214.30 लाख की बचत (₹509.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IX) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure – Building" – saving of ₹214.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹509.00 lakhs);

(X) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(X) Under Major Head "4202" – "General Education" – savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - भवन" - ₹572.03 लाख की बचत (₹854.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Elementary Education – Buildings" – saving of ₹572.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹854.00 lakhs);

(खा) "माध्यमिक शिक्षा - भवन" - ₹211.61 लाख की बचत (₹911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Secondary Education – Buildings" – saving of ₹211.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹911.00 lakhs);

(XI) मुख्य शीर्ष "4210" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत ₹578.27 लाख की बचत (₹1446.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XI) Under Major Head "4210" – "General – Other Expenditure – Buildings" – saving of ₹578.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1446.00 lakhs);

(XII) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - भवन" के अंतर्गत ₹277.18 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XII) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Tribal Area Sub-Plan – Building" – saving of ₹277.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs);

(XIII) मुख्य शीर्ष "4235" - "समाज कल्याण - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत ₹112.56 लाख की बचत (₹210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XIII) Under Major Head "4235" – "Social Welfare – Other Expenditure – Buildings" – saving of ₹112.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210.00 lakhs);

(XIV) मुख्य शीर्ष "4403" - "अन्य व्यय - अन्य परियोजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत ₹139.91 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(XIV) Under Major Head "4403" – "Other Expenditure – Additional Central Assistance for Other Project" – saving of ₹139.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs);

(XV) मुख्य शीर्ष "4405" - "अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत ₹106.61 लाख की बचत (₹172.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(XV) Under Major Head "4405" – "Other Expenditure – Buildings" – saving of ₹106.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹172.00 lakhs); and

(XVI) मुख्य शीर्ष "4711" - "समुद्र कटावरोधी परियोजना - सिविल निर्माण कार्य - अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत ₹899.94 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(XVI) Under Major Head "4711" – "Anti-Sea Erosion Project –Civil Works - Additional Central Assistance for Other Projects" – saving of ₹899.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत बचतें खनन उत्पादों के उपलब्ध न होने और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से विभिन्न निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण हुईं।

Savings under above ten heads were due to non-taking up of various works owing to non-availability of quarry products and inclement weather conditions.

(XVII) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹498.38 लाख की बचत हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक थीं।

(XVII) Under seven heads savings of ₹498.38 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 19 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2999.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2011 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4.(I) The above savings were partly (₹2999.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in November, 2011 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4055" - "विशेष पुलिस - भारत रिजर्व बटालियन" - ₹600.00 लाख।

(A) Major Head "4055" - "Special police – India Reserve Battalion" – ₹600.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "5225" - "अधिक दूरी की संचरण प्रणालियां - आप्टिकल फाइबर केबल प्रणालियां - मुख्य भूमि एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बीच समुद्र के नीचे आप्टिकल फाइबर केबल बिछाना" - ₹2399.00 लाख।

(B) Major Head "5225" –"Long Distance Transmission Systems – Optical Fibers Cable Systems – Laying of Undersea Optical Fiber Cable Between Mainland and A&N Islands" - ₹2399.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "4801" - "संचरण तथा वितरण - निदेशन और प्रशासन - संचरण और वितरण पर व्यय" - ₹188.59 लाख का अधिक व्यय (₹130.00 लाख क स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के लम्बे समय से लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "4801" - "Transmission and Distribution – Direction and Administration – Expenditure on Transmission and Distribution" – excess of ₹188.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of long pending Director General of Supplies and Disposal claims.

(खा) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - संचार और भवन - भवन" - ₹281.90 लाख का अधिक व्यय (₹377.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य द्वार से बिजली घर तक समुद्री दीवार और केबल डक्ट के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "4406" - "Forestry – Communication and Building – Buildings" – excess of ₹281.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹377.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of sea wall and cable duct from main gate to power house.

(गा) मुख्य शीर्ष "5055" - "बेड़े का अधिग्रहण - सड़क परिवहन के लिए बसों की खरीद" - ₹246.12 लाख का अधिक व्यय (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 37 नई बसों की अग्रिम अदायगी लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "5055"- "Acquisition of Fleet – Purchase of Buses for Road Transport" - excess of ₹246.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards advance payment cost of 37 new buses.

(घा) मुख्य शीर्ष "5051" - "लघु पत्तन" -

(क) "अन्य लघु पत्तन - घाटों का निर्माण" - ₹259.72 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैम्पबेल खाड़ी में परियोजना पोतान्तरण पत्तन के लिए जल और विद्युत परामर्शदात्री सेवाओं के बकाया दावों के निपटान और अन्य जारी निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - घाटों का निर्माण" - ₹369.82 लाख का अधिक व्यय (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कटचल और टेरेसा में घाटों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) Major Head "5051" – "Minor Ports" –

(a) "Other Small Ports – Construction of Jetties" – excess of ₹259.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of outstanding claims of Water and Power Consultancy Services for the project transshipment port at Campbell Bay and other continuing works.

(b) "Tribal Area Sub-Plan – Construction of Jetties" – excess of ₹369.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of Jetties at Katchal and Teressa.

(ङ) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति - ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति" - ₹126.13 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(E) Major Head "4215" - "Water Supply - Rural Water Supply - Water Supply in Rural Areas" – excess of ₹126.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(चा) मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - ग्रामीण सड़कें" - ₹384.43 लाख का अधिक व्यय (₹2090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(F) Major Head "5054" – "District and other Roads – Road Works – Rural Roads"- excess of ₹384.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2090.00 lakhs);

(छा) मुख्य शीर्ष "4055" - "राज्य पुलिस - अन्य सिविल निर्माण कार्य" - ₹486.40 लाख का अधिक व्यय (₹688.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(G) Major Head "4055" – "State Police – Other Civil Works" – excess of ₹486.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹688.00 lakhs);

(जा) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य" -

(क) "निर्माण - अन्य विभाग" - ₹250.09 लाख का अधिक व्यय (₹436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(H) Major Head "4059" – "General" –

(a) "Construction – Other Departments" – excess of ₹250.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹436.00 lakhs);

(ख) "निर्माण - सामान्य प्रशासन" - ₹314.41 लाख का अधिक व्यय (₹817.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(b) "Construction – General Administration" – excess of ₹314.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹817.00 lakhs);

(झा) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - भवन" - ₹180.00 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(I) Major Head "4202" – "General Education – Tribal Area Sub-Plan – Buildings" – excess of ₹180.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs);

(ञ) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों को जल पूर्ति" - ₹147.66 लाख का अधिक व्यय (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(J) Major Head "4215" – "Water Supply – Urban Water Supply – Water Supply to Urban Areas" – excess of ₹147.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs);

(टा) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - भवन" - ₹510.68 लाख का अधिक व्यय (₹807.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(K) Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Building" – excess of ₹510.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹807.00 lakhs);

(ठा) मुख्य शीर्ष "4401" - "अन्य व्यय - भवन" - ₹173.75 लाख का अधिक व्यय (₹262.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(L) Major Head "4401" – "Other Expenditure – Buildings" – excess of ₹173.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹262.00 lakhs);

(डा) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" - ₹494.93 लाख का अधिक व्यय (₹257.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(M) Major Head "5052" – "General – Other Expenditure – Buildings" – excess of ₹494.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹257.00 lakhs); and

(ढा) मुख्य शीर्ष "4711" - "समुद्र कटावरोधी परियोजना - सिविल निर्माण कार्य - समुद्री दीवारों का निर्माण" - ₹103.72 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(N) Major Head "4711" – "Anti-Sea Erosion Project – Civil Works – Construction of Sea Walls" – excess of ₹103.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs).

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय तत्काल स्वरूप के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above eleven heads was due to requirement of additional funds towards completion of urgent nature of works.

(III) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹622.97 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 237 प्रतिशत तक था।

(III) Under eight heads excess of ₹622.97 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 237 percent of the sanctioned provision.